HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15224/2025

Buddhiprakash S/o Shri Bhompal, Aged About 28 Years, R/o Bhaguatpura, Police Station Dantwas, District Tonk (Raj.).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta with Mr. Rahul Sharma Mr. Utkarsh Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Choudhary, PP Mr. Amit Sharma

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

11/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना चौथ का बरवाडा, जिला–सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–151/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 190, 191(2), 109(1), 117(2) भारतीय न्याय संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी–अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि दोनों आहतगण में से एक आहत सोनु ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में उसका नाम घटना कारित करने वालों में नहीं बताया है। उनका तर्क है कि घटना के दिन ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि पूर्व में सहअभियुक्त हरिश के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ अभियुक्तगण, जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में थे, उन्हें अभियुक्त नहीं माना गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक

प्रकरण संस्थित नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। उसके गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। अतः उसकी अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आहत मनेष ने प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा भी चोटें कारित करना बताया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपराध कारित किया है। गंभीर अपराध है। अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी–अभियुक्त पर धारा 115(2), 126(2), 189(2), 190, 191(2), 109(1), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध आहतगण के साथ मारपीट करने के स्पष्ट आक्षेप नहीं बताए गए हैं। आहत सोनु द्वारा अपने कथनों में प्रार्थी–अभियुक्त का नाम घटना कारित करने वाले व्यक्तियों में नहीं बताया गया है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी–अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 24.02.2026 को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करेगा और अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी–अभियुक्त से आवश्यक अनुसंधान कर प्रकरण की केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी सुनवाई तिथि पर विद्वान लोक अभियोजक के मार्फत् न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

पत्रावली दिनांक 09.03.2026 को सूचीबद्ध की जाए, तब तक इस प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाये। प्रार्थी–अभियुक्त के दिनांक 24.02.2026 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /57